RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-09
September-2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com[Peer Reviewed Journal]

मुस्लिम महिला एंव मानवाधिकार के सवाल : एक विश्लेषण

सुधा सिंह

शोधार्थी, राजनीति एंव लोकप्रशासन विभाग, डॉ हरीसिंह गौर केन्द्रीय विश्वविद्यालय

ARTICLE DETAILS

Article History
Published Online: 16 Sep 2019

Keywords
मानव अधिकार, मुस्लिम महिला, समानता, संवैधानिक अधिकार।

***Corresponding Author**
Email: sudha17august[at]gmail.com

ABSTRACT

एक विचारधारा के रूप में स्त्री मानवाधिकार का विमर्श एक सशक्त बौद्धिक नारीवादी हस्तक्षेप हैं। 19वीं शताब्दी से यूरोप में प्रारम्भ स्त्री अधिकारों की मांग ने वर्तमान में वैश्विक स्वरूप ग्रहण कर लिया हैं। भारत उन कुछ देशों में से एक हैं जहाँ मानवाधिकार आन्दोलन का इतिहास उतार चढ़ाव से युक्त रहा हैं। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान मुख्य लक्ष्य सिर्फ भारत की स्वंत्रता नहीं थी, बल्कि भारतीय लोगों के मूलभूत अधिकारों एंव स्वतंत्रताओं का संरक्षण एंव संवर्धन भी था। अहम प्रश्न यह है कि क्या आजादी के इतने सालों बाद भी स्त्रियाँ अपने मूलभूत अधिकारों को प्राप्त कर सकी हैं? इसमें मुस्लिम महिलाओं का प्रश्न अलग से इसलिए भी विचारणीय हो जाता हैं क्योंकि अन्य धर्म की महिलाओं की अपेक्षा मुस्लिम महिलायें ज्यादा पिछड़ी हुई हैं और यह सिर्फ उनके धर्म या ये कहें कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की वजह से हैं। जोकि उन्हें उनके मानवाधिकार प्राप्त होने के आडें आता हैं।

प्रस्तावना

मानव अधिकार एक आधुनिक अवधारणा है,परन्तु इसका आधार सिद्धांत उतना ही पुराना है जितनी मानवता।निःसंदेह मानव अस्तित्व के लिए कुछ अधिकार और स्वतंत्रता मूलभूत होती है जैसे– ''जीवन का अर्थ वह जीवन है जिसकी प्रतिष्ठा व गरिमा का महत्व हो,यह प्रतिष्ठा और गरिमा ही मानव अधिकार के रूप में परिभाषित हैं।'' मानव–अधिकार पुरुष व स्त्री दोनों वर्गों की दृष्टि से एक ही हैं,तो भी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलिए अलग से विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरुषसत्तात्मक विश्व में लिंग भेद की परम्परा सदियों से चली आ रही हैं। समाज में स्त्रियों के विकास एवं उन्नति में मानवाधिकार एक औजार की तरह हैं। किसी भी देश और समाज का विकास तभी संभव हैं,जब विकास की हर कड़ी बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए लागू हो। इसीलिए जब तक समान अवसरों को स्त्रियों के लिए व्यापक स्तर पर उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक कोई सामाजिक परिवर्तन,आर्थिक उपलब्धि,और राजनीतिक सत्ता में विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं कर सकती। यही कारण रहा है कि महिलाओं की मौलिक स्वतंत्रता की पूर्णता संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकता रही है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने 1948 के घोषणा पत्र में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए स्त्री पुरुष दोनों को एक पूर्ण इकाई मानकर अग्रिम विकास की शुरुआत की। आगे इसी दिशा में पहल करते हुए महिलाओं के प्रश्न पर लोगों को जाग्रत करने के लिए और राजनीतिक विचार विमर्श की और अग्रसर होने के लिए ''महिला हैसियत आयोग (CSW)'' की स्थापना की गयी। आयोग ने प्रत्येक व्यक्ति को घोषणा पत्र में प्रकशित समस्त आधिकारों व स्वतंत्रताओं का बिना किसी भेदभाव के अधिकृत करते हुए सभी को समान अधिकार दिए है। महिलाओं के राजनीतिक,आर्थिक व सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने तथा महिलाओं के लिए विश्वव्यापी नीतियों का निर्माण करने हेतु व महिलाओं को उन्नति और विकास के उचित अवसर देने के लिए आयोग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

हमारे देश में महिला अधिकारों के प्रावधानों के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान सर्वप्रथम रहे हैं। संविधान की उद्देशिका में ''हम भारत के लोग .....संकल्प करते हैं'' के रूप में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया हैं जो इस प्रकार है–

- विधि के समक्ष समानता (AR-14)
- धर्म,वंश,जाति,लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं (AR-15)
- अवसर की समानता (AR-17)
- स्वतंत्रता का अधिकार (AR-19)

इस प्रकार हमारे संवैधानिक व कानूनी प्रावधान यह इंगित करते हैं कि महिलाओं के सामाजिक बराबरी के लिए काफी प्रावधान किये हैं। इतने अधिकार और अधिनियमों के उपरांत भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली महिलाओं की स्थिति ठीक नही है। महिलाओं की भलाई के लिए जो भी कानून बने हैं उसकी जानकरी इन्हें होती ही नहीं है।

वैसे तो हर धर्म की महिलाओं की स्थिति दयनीय,पर मुस्लिम धर्म की अगर बात करें तो मुस्लिम महिलाओं की स्थिति काफी सोचनीय व दयनीय हैं। मुस्लिम धर्म में महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए शरीयत कानून का पालन करने का प्रावधान किया गया हैं। धार्मिक रीतियाँ, परम्पराएँ, नियम, कानून, फतवे आदि के रूप में कई तरह बंदिशे इसमें मौजूद

RRIJM 2015, All Rights Reserved

हैं। सम्पत्ति के अधिकार, विवाह, पहनावे,तलक,मेहर आदि को लेकर मुस्लिमों में तमाम तरह के कट्टरवादी नियम, कानून बने हैं जो कि पूर्णतया पितृसत्तात्मक समाज पर ही बल देता हैं। पुरुष को चार विवाह करने की स्वतंत्रता आज भी बरकरार हैं,तीन बार 'तलाक' बोलकर तलाक ले लेने के अधिकार का बिना किसी रोकटोक के इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता भी पितृसत्तात्मक तत्वों को भी बढ़ा–चढ़ाकर इस्तेमाल किया जाता हैं, जैसे– पर्दा प्रथा। इन सबके द्वारा आज भी मुस्लिम महिलाओं को मानव अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है।

मुस्लिम पर्सनल ला के तहत तीन बार तलाक कहकर तलाक दिया जा सकता हैं। तलाक के बाद मुस्लिम पुरुष फौरन शादी कर सकता हैं लेकिन महिला को 4 महीने 10दिन तक इछत पीरियड तक इंतजार करना होता है। आज इन कट्टरवादी कानूनों की वजह से मुस्लिम महिलाओं की स्थिति हर क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुयी हैं, फिर चाहे वह शिक्षा हो,राजनीति हो या नौकरियां। हर जगह मुस्लिम महिलाएं बाकि महिलाओं से बहुत पीछे हैं।All India Muslim Organization के एक सर्वे के अनुसार 50 प्रतिशत महिलाएं शहर में अशिक्षित हैं,और 85 प्रतिशत ग्रामीण मुस्लिम महिलाएं अशिक्षित हैं। सिर्फ 2.5 प्रतिशत मुस्लिम लडकियाँ ही उच्च शिक्षा ले पाती हैं।

अनेक महिला आन्दोलन जो समय–समय पर हुए हैं और जो हो रहे हैं वे महिलाओं की आर्थिक, सामजिक व राजनैतिक स्थिति में सुधार लाने की द्रष्टि से किये जा रहे हैं। जहाँ तक मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक, सामजिक व राजनैतिक स्थिति का प्रश्न हैं? वे अन्य जाति, धर्म और समुदाय की महिलाओं से भिन्न हैं। मुस्लिम महिलाओं की समस्याएं हैं, जैसे-

अशिक्षा

मुस्लिम महिलाओं में सबसे अधिक कोई गम्भीर समस्या हो सकती है तो वह अशिक्षा की है। धार्मिक शिक्षा तो मुस्लिम समाज अपनी लडकियों को देते हैं, किन्तु उन्हें आधुनिक शिक्षा नहीं देते हैं।

सामाजिक जागरूकता का अभाव

मुस्लिम महिलाओं की संख्या उन सारी बातों से अनजान रहती है उसके चारों ओर घटित होती है। शायद यह अशिक्षा का प्रभाव है।

पर्दा प्रथा

मुस्लिम समाज में पर्दा इतना ज्यादा है की वे परिवार से निकलें तो कैसेनिकलें।मुस्लिम क्षेत्रों को देखकर आश्चर्य होता है कि मकान किले है, टाट या चिक के पर्दों से घर दरवाजे और खिड़कियाँ तक बंद हैं। यह बन्द महिलाओं को भी घरों में कैद किये है।

21वीं सदी में महिलाओं को अपनी तरक्की, परिवार की खुशहाली और बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए कामकाजी महिला बनने की जरूरत हैं। पर्दा वहीं तक अच्छा लगना चाहए जहाँ परिवार अथवा स्त्री के लिए सुरक्षा कार्य करें और यदि वह महिलाओं को जमाने से पीछे छोडती है तो एक माँ या औरत का पिछड़ना एक परिवार का पीछे रह जाना हैं।

असुरक्षा की भावना

बहुपत्नी विवाह किसी भी मुस्लिम विवाहित महिला के लिए यह कितनी डर की बात जीवन पर्यन्त बनी रहती है कि उनका पति जाने कब किस बात पर नाराज होकर या किसी पर भी रीझकर या किसी और कारण से दूसरा विवाह कर लें और उसे तलाक दे दे।यह असुरक्षा की भावना किसी भी महिला के लिए कष्टप्रद है।क्या मुस्लिम धर्म में महिलाएं केवल सम्भोग की ही वस्तु होती हैं, केवल पुरुषों को ही अधिकार हैं कि वह एक साथ चार पत्नियाँ रख सकें क्या यह महिलाओं का शोषण नहीं हैं।

तलाक

यूँ तो मुस्लिम धर्म में तलाक को बहुत बुरा माना गया है, किन्तु एक पुरुष को चार बीवियां रखने का सामजिक और कानूनी अधिकार महिलाओं के साथ अन्याय है। कई बार मुस्लिम महिलाएं इस प्रथा के विरूद्ध खड़ी हुई हैं और आन्दोलन किये हैं और आज इसी का परिणाम हैं की वर्तमान सरकार ने तीन तलाक को समाप्त कर दिया हैं।

अस्वस्थता और बीमारी

निर्धन और निम्न मध्यम परिवार की महिलाएं अस्वस्थ भी रहती हैं और बीमार भी।इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें महत्वपूर्ण कारण अधिक बच्चों का होना और उसके अनुपात में गर्भवती महिला को पौष्टिक भोजन ना मिलना।दूसरा कारण है कि हवा और धूप और रौशनी का न मिलना। छोटे, गंदे, कली कूचों के मकानों में बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। इन्हीं सब कारणों से मुस्लिम औरतों को गम्भीर किस्म की बिमारियों घेरे रहती हैं ।

धार्मिक कटटरपन की सोच व मानसिकता

21वीं शताब्दी में भी औरतें घर में कैद होकर रह जाएँ, अपना विकास न कर सकें, इच्छा और योग्यता के अनुसार नौकरी न कर सकें तो इसे आप क्या कहेंगे ? धर्म को लचीला होना चाहिए तभी उस धर्म की महिलाएं प्रगति कर सकेंगी स्वावलम्बी बन सकेंगी। आज यदि अन्य धर्म की महिलाएं ऊँचे पदों पर हैं तो निश्चय ही प्रगतिशील धारणा और उच्च शिक्षा के कारण हैं।

मुस्लिम महिलाओं की इन समस्याओं से निपटने के लिए हम निम्नलिखित सुझाव दे सकते हैं जिन्हें यदि व्यवहारिक

RRIJM 2015, All Rights Reserved

जीवन में उतरा जाएँ तो बहुत कुछ मुस्लिम महिलाओं की समस्या का समाधान हो सकता हैं -

- बहुत आवश्यक है कि लडकियों को धार्मिक शिक्षा देने के साथ–साथ उन्हें उच्च शिक्षा भी दी जाए जिससे कि उनके व्यक्तित्व का निर्माण सर्वागीण रूप से हो सके।
- महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें रोजगारपरक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएँ जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।
- मुस्लिम महिलाओं को स्कूलों और कालेजों में आधुनिकतम शिक्षा से सम्बन्धित विषयों को पढ़ाया जाए जिससे उन्हें यह ज्ञात हो सके कि विश्व की अन्य महिलाएं कितनी उन्नति अलग अलग क्षेत्रों में कर रही हैं।
- मुस्लिम महिलाओं को खासतौर से शादीशुदा औरतों को परिवार नियोजन के महत्व को भी बताना चाहिए।अधिक बच्चें महिला के स्वास्थ्य को तो बर्बाद करते ही हैं, परिवार का सुख चौन भी छीनते हैं। उन्हें कालेज तक की शिक्षा नहीं दे पाते हैं। साथ ही कमजोर निर्धन परिवार की अनेक महिलाएं अनेक बिमारियों का शिकार भी हो जाती हैं।
- मुस्लिम महिलाओं की तरक्की के लिए बदलते जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए बहुत जरूरी है कि भाग–दौड़ की जिन्दगी में कपड़े ऐसे हों कि हम बस ट्रेन, टेम्पो आदि में आसानी से अपनी जगह ले लें। इसके लिए जरूरी हैं की हमें पर्दा प्रथा एंव बुर्का को खत्म करना पड़ेगा। आज वर्तमान समाज में बुर्का की कोई जरूरत नहीं हैं।

मुस्लिम विधि में विवाह का स्वरूप विक्रय संविदा जैसा हैं मुस्लिम विवाह में एक पक्षकार प्रस्ताव व दूसरा कुबूल करता हैं। विवाह के विखंडन के फलस्वरूप पत्नी को मेहर मिलता हैं और विवाह के उपरांत पत्नी पर प्रतिबन्ध लग जाता है कि वह किसी और के साथ निकाह नहीं कर सकती जबकि पति ऐसा कर सकेगा। मेहर को शारीरिक सम्भोग के प्रतिफल के स्वरूप माना जाता हैं।मुस्लिम विधि में महिलाओं के अधिकारों को तो सिर्फ नाम मात्र के रूप में ही शामिल किया गया हैं क्योंकि प्राचीनकाल से ही मुस्लिम समाज पुरुष प्रधान समाज रहा हैं इसी कारणवश इस समाज में महिलाओं की दशा आज भी दयनीय स्थिति से गुजर रही हैं। आज महिलाओं को बुर्का के बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होती हैं। आज दुनिया भले ही चाँद पर पहुंच रही हो परन्तु मुस्लिम समाज चाहे वह विश्व के किसी कोने में क्यों न हो अपनी महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहते हैं।महिलाओं की शिक्षा की तरफ जब तक ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक मुस्लिम समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होना असम्भव हैं। क्योंकि आज भी मुस्लिम समाज अपने धर्म और पर्सनल लॉ के हिसाब से चलता हैं जो कि पूर्णतया महिला विरोधी हैं और यही एक मुख्य कारण हैं महिलाओं का शोषण होने का। लेकिन आज जब हम वर्तमान समय में मानवाधिकार की बात करते हैं जोकि सभी मनुष्यों के लिए समान हैं, तो मुस्लिम महिलाएं इन अधिकारों से सिर्फ इसिलये वंचित रह जाती हैं क्योंकि वो मुस्लिम हैं? यह कहाँ तक सही हैं।

निष्कर्ष

मुस्लिम पर्सनल ला में बदलाव की जरूरत है शाहबानो ने बहुत पहले (80 के दशक)जो तलाक मुद्दा उठाया था, वह आज भी अहम है। मुस्लिम लॉ में भी अगर बदलाव की जरूरत हैं तो होना चाहिए। महिलाएं चाहे किसी भी धर्म की हो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराना संवैधानिक जिम्मेदारी है।

संविधान समानता की बात करता हैं और अगर पर्सनल लॉ इसमे आडे आता हैं तो उसे भी बदला जा सकता है। संविधान सभी को बराबरी का हक देता है, देश के सभी कानून को अनु.14 और अनु. 21 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए जो बराबरी और जीवन जीने का अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी धर्म या पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत नहीं। क्योंकि यह समाज कानून भी ऐसा बनाता जिसमें महिलायें ज्यादा लाभान्वित न हो सके।

सन्दर्भसूची

1. अली,असगर,प्राब्लम्स आफ मुस्लिम विमेन इन इन्डिया, नई दिल्ली, ओरियन्ट लांगमेन लिमिटेड,1995
2. अहमद,अकील,मुस्लिम विधि, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन,1995
3. आर्य,साधना.मेनन,निवेदिता, नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एंव मुद्दे, नई दिल्ली, हिंदी माध्यम कार्यन्वय निदेशालय,2001
4. अय्यर,पदमा, ह्यूमन राइट्स ऑफ विमेन, जयपुर, प्वाइंटर पब्लिकेशनः 2007
5. कौशिक,आशा, मानवाधिकार और राज्यःबदलते संदर्भ,उभरत आयाम, जयपुर, प्वाइंटर पब्लिकेशनः 2004
6. कोफी, ए अन्नान, संयुक्त राष्ट्र के विवरण पत्र मानवाधिकारः आज की स्थिति, नई दिल्ली,संयुक्त राष्ट्र सुचना केंद्रः 2000
7. अंसारी, एम. ए, महिला और मानवाधिकार, जयपुर, ज्योति प्रकाशनः 2000

RRIJM 2015, All Rights Reserved

8. आहूजा, राम, सामजिक अनुसंधान, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशनः 2015
9. कुमारी,रमेश, संस्कृति साहित्य और स्त्री, नई दिल्ली, ओमेगा पब्लिकेशनः 2018
10. कपूर,एस.के, मानव–अधिकार, इलाहाबाद, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशनः 2011
11. कौशिक, आशा, नारी सशक्तिकरण विमर्श एंव यथार्थ, जयपुर, पोइंटर पब्लिशर्सः 2005
12. करात, वृंदा, जीना हैं तो लड़ना होगा, नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन : 2008
13. गोपालन, सरला, समानता की ओर अपूर्ण कार्य भारत में महिलाओं की स्थिति, नई दिल्ली, मानव अधिकार आयोगः 2002
14. गुप्ता, कमलेश, महिला सशक्तिकरण, सामजिक व्यवस्था में महिलाओं की स्थिति, नई दिल्ली 2003

RRIJM 2015, All Rights Reserved